3658

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु 5000

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Sale deed - 3656
diversion order.
Copy of sale deed - 2872

मध्यप्रदेश MADHYA PRADESH

0030

395000

// जय श्री दादाजी //

विक्रय-पत्र (कृषि भूमि)

बिक्री मूल्य 2,00,000/-रु. (अक्षरी दो लाख रूपये मात्र)

संपत्ति वाके ग्राम **'दोंदवाड़ा'** प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-छैगाँवखमान, वि0ख0-छैगाँवमाखन ,तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ के भाग में स्थित है। जिसका ऋण पुस्तिका भाग एक का क्रं. एन/54222 है।

बिक्रीत संपत्ति असिंचित रकबे की है, विक्रेता के पास भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग एक है जिसका क्रं. एन/54222 है। बिक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।	मुद्रांक शुल्क 11000-00 ज.प.शुल्क 2000-00 उपकर 550-00 कुल योग 13550-00

5000 Rs.

003802

मध्यप्रदेश MADHYA PRADESH

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद में दर्ज है। इस लेख के दोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते है। क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी नहीं है।

-::क्रेता का नाम-::

1. सेठी एग्रीटेक प्रा.लिमि.
डायरेक्टर-श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी,जाति जैन,
निवासी संतोषनगर कॉलोनी,इंदौर रोड,खण्डवा तहसील खण्डवा
जिला पूर्व निमाड़ म.प्र. ..को..

-:: विक्रेता का नाम-::

1. श्रीमती खातूनबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद,जाति मुसलमान,
निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़,म.प्र...ने..

::-प्रतिफल-::

26,000/-रू.	अक्षरी छब्बीस हजार रूपये पूर्व में प्राप्त.
1,74,000/-रू.	अक्षरी एक लाख चहोत्तर हजार रूपये आज दिनांक को प्राप्त इस प्रकार बिक्री मूल्य की संपूर्ण राशि
2,00,000/-रू.	अक्षरी दो लाख रूपये प्राप्त सो हम भरपाये

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 227965

-::संपत्ति का विवरण::-

संपत्ति वाके ग्राम **'दोंदवाड़ा'** प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-छैगाँवखमान, वि0ख0-छैगाँवमाखन ,तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ के भाग में स्थित खेत खसरा नंबर 851, रकबा 4.24 हैक्टेयर इस पैकि दक्षिण दिशा का भाग 1.40 हैक्टेयर असिंचित जमीन आज जिस भी हालत में है उसी हालत में आज आपको बिक्री कर मौके पर आप क्रेता का कब्जा भी करा दिया है। सो इस 1.40 हैक्टेयर जमीन की चतुरसीमा :-

पूर्व को	-	खसरा नंबर 858/1 की जमीन
पश्चिम को	-	सीताराम पटेल की जमीन
उत्तर को	-	आज ही सेठी एग्रीटेक प्रा.लिमि. को बेची जमीन
दक्षिण को	-	कच्चा रास्ता

सो इस हद हदूद व चतुरसीमा के मध्य की संपत्ति आपको मय,हक, मालकी व दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित बेचदेकर आपके कब्जे में कर दी है।

..4..

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227966

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति हम विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है, तथा उपर लिखी संपत्ति हमने पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 13/10/2008 को पु.क्रं. 1अ,ग्रंथ 9539 के 7 पृ.68 से 74 के क्रं. 2872 के द्धारा श्री प्रदीप कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा निवासी खण्डवा से क्रय की थी, तथा उपरलिखी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में हम विक्रेता के नाम से दर्ज है, तथा उपर लिखी संपत्ति में हम विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय,हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को पारिवारिक खर्च, एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विकेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य **2,00,000/-रू. अक्षरी दो लाख रूपये** मात्र में तय हुआ है उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो बिक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को **2,00,000/-रू. अक्षरी दो लाख रूपये** मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, सो पाकर इन रूपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वास्ते क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

..5..

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 227967

अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहें वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना। बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।

अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों एवं ग्राम पंचायत आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान, अदाव हम विक्रेता अदा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते जाना।

बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा आदि रहा नहीं अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शख्स ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रद्द व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत् कायम रहेगा।

..6..

ग्राम- देवबाड़ी

प०ह०नं० ८८/३८

रा०नि०मं०- छिगाव माखन

रा०नि०मं०- छिगाव माखन

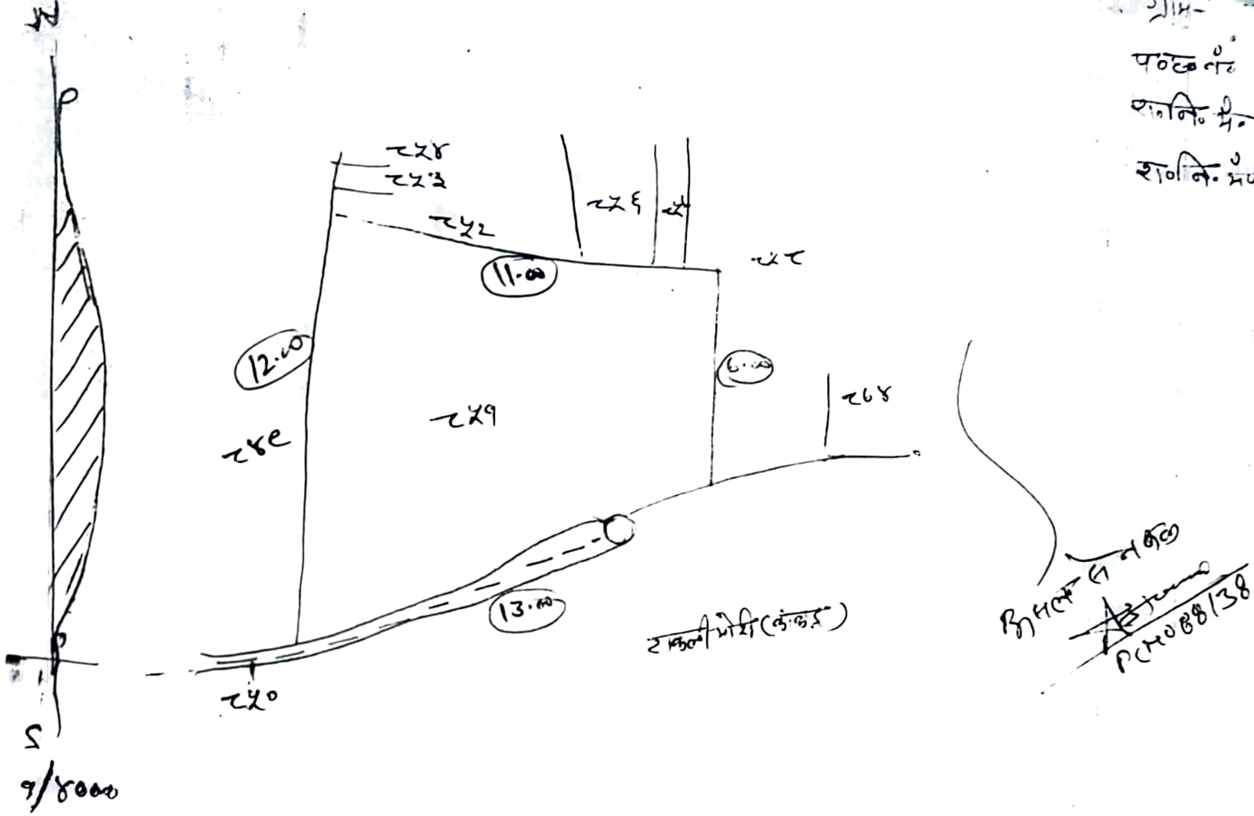

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, ह्रुकों, लगान तकावी आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है, इसमें किसानों को सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है, मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहे और उन्हें सरकार या बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो।

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेख नवीनतम रहें किसानों को भी चाहिये कि, वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहें। इसे सम्भाल कर रखा जाना चाहिये, क्योंकि इसके खो जाने पर फिर से तमाम दफ्तरों और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी।

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं का भी यह फर्ज है कि वे इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी न करें और सारी प्रविष्टियां तुरन्त की जावें। इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो काश्तकारों को चाहिए कि वे तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से शिकायत करें। इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सुस्ती, लापरवाही या बदनियती बरतेगें, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व मंत्री.

पुस्तिका क्रमांक 54222

कृषक का नाम खातुन बी

पिता / पति का नाम नुर मोहम्मद

ग्राम दोदवाडा पटवारी हल्का नं. [illegible]

राजस्व निरीक्षक मंडल छैगांव ~~माखन~~ विकास खंड छैगांव माखन

तहसील खंडवा जिला पूर्व निमाड

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

....

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

ध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227968

बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, वित्तीय निगम, अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, एवं जीवन बीमा निगम आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत, जमानत, मेहर, एवं अदालती डिक्री आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझे से मुक्त साफ एवं पाक हालत में संपत्ति बेची है।

बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति बाबत कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में दोष पाये जाने से बिक्रीशुदा संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप केता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रूपयों के मय ब्याज एवं खर्चे सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेंगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहोगे। इसमें हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीशुदा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझे के आप क्रेता को बिक्री की है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 227969

अत: यह विक्रय-पत्र विक्रता ने अपनी राजी-खुशी से बिना किसी डर दबाव के बिक्री मूल्य की कुल राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिख दिया सो सही सनद रहे वक्त जरूरत के काम आवे, इति दिनांक : 30/11/09

गवाह : सही/- विक्रेता

हस्ता--- राजकुमार व्यास

नाम--- राजकुमार व्यास

पिता--- [illegible]

पता--- कुम्हार गली, खंडवा (म.प्र.)

सही/- क्रेता

हस्ता--- [illegible]

नाम--- अब्दुल रहमान

पिता--- अहमद

पता--- कहारवाडी खंडवा (म.प्र.)

नोट- इस लेख में कोई काँट-छाँट नही हैं.

उभयपक्षों द्वारा दी गई जानकारी एवं माहिती के अनुसार यह दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में मुद्रित करवाया गया.

मुदक्र: मुकेश रमेश सोमानी 9827301895

अधिवक्ता, खण्डवा